कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा

–: संशोधित कार्यालय आदेश :–

क्रमांक : 2026/37 दिनांक : 05.09.2026

मैं डॉ. रामचन्द्र चौहान, लिंक पीठासीन अधिकारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा एतद्द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, के पत्र क्रमांक –Gen-/XIX/Misc./2000/911/718, Dated 01-06-2001 की पालना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित करता हूं कि इस कार्यालय के आदेश संख्या 2026/29 दिनांक 28.07.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके नाम से पूर्व अंकित तिथि को बालोतरा न्यायक्षेत्र में **माह सितम्बर 2026** के निम्नलिखित राजकीय अवकाशों में बालोतरा मुख्यालय (सम्पूर्ण राजस्व जिला) में स्थित न्यायालयों के, यथा विधिनुसार, आपराधिक प्रकरणों में आवश्यक प्रकृति के कार्य, यथा पुलिस अभिरक्षा/न्यायिक अभिरक्षा प्रतिप्रेषण, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु–समीक्षा जॉच, धारा 52–ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत् इन्वेन्ट्री एवं अन्य सभी प्रकृति के आवश्यक कार्य तथा प्रोटोकॉल संबंधी कार्य हो, तो उस संबंध में अपने न्यायालय में उपस्थित होकर **कार्यालय समय 11:00 ए.एम से 01:00 पी.एम.** तक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करता हूँ –

माह अगस्त, 2026

क्र.सं.	दिनांक	नाम अधिकारी मय पद
1	06.09.2026	श्रीमती रोजी कंसारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा
2	12.09.2026	श्री धारू राम, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवाना

1. उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरंभ होगा एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगा तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होन पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।
2. अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। निर्धारित समय में अवकाश न्यायालय के समक्ष न्यायालय में पेश न करने एवं निवास पर अभियुक्त/अभियुक्तगण को पेश करने पर थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में अभियुक्त/अभियुक्तगण को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।
3. उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाता है, तो उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जाएगी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संबंधित पीठासीन अधिकारीका रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा संपन्न की जावेगी।
4. नियत किए गए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करें तो कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।
5. साथ ही, यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई पीठासीन अधिकारी, जिन्हे उक्त अवकाश के दिन उक्तानुसार आवश्यक कार्य करने हेतू अधिकृत नही किया गया हैं, किन्तु वह अपने मुख्यालय पर (उपार्जित/अर्द्धवैतनिक/रूपांतरित अवकाश के अतिरिक्त) उपलब्ध है, तो उनके द्वारा उस मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के उक्तानुसार ही आवश्यक प्रकृति के कार्य निष्पादित करेंगे।
6. ड्यूटी हेतु अधिकृत न्यायिक अधिकारी विशेष परिस्थितियों में ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे।

(डॉ. रामचन्द्र चौहान)
लिंक पीठासीन अधिकारी,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालोतरा

आदेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

क्रमांक :– 1634 दिनांक :– 05.09.2026

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बालोतरा।
2. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 बालोतरा/संख्या 02 बालोतरा।
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा/सिवाना/सिणधरी/पचपदरा।
4. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा।
5. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, बालोतरा को प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को सूचित करते हुए निर्देशित करावे कि नियत समयावधि में न्यायालय में अभियुक्तगण को व आवश्यक कार्य हेतु उपस्थित होवे एवं विशेष परिस्थिति में आवास पर अभियुक्तगण को पेश करने की स्थिति में अधिकारीगण के आवासीय परिसर में बिना आज्ञा मुलजिमान को प्रवेश नही कराया जावें।
6. आबकारी अधिकारी, बालोतरा को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को सूचित करते हुए निर्देशित करावे कि नयत समयावधि में न्यायालय में अभियुक्तगण को व आवश्यक कार्य हेतु उपस्थित होवे एवं विशेष परिस्थिति में आवास पर अभियुक्तगण को पेश करने की स्थिति में अधिकारीगण के आवासीय परिसर में बिना आज्ञा मुलजिमान को प्रवेश नही कराया जावें।
7. सहायक निदेशक, अभियोजन, बालोतरा/बाड़मेर।
8. सिस्टम अधिकारी, जिला न्यायालय, बालोतरा, को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. कन्ट्रोल रूम, बालोतरा।
10. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. रामचन्द्र चौहान)
अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालोतरा
05/09/2026